न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 85/2022

1 इन्द्राज सिंह पुत्र कुरड़ा।
2 शिवदान सिंह पुत्र कुरड़ा समस्त जाति जाट निवासीगण धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मूलचन्द पुत्र रामेश्वर।
2 प्रहलाद पुत्र कुरड़ा।
3 अनिता पुत्री लिक्ष्मण।
4 ओमप्रकाश पुत्र बोदू।
5 केदार पुत्र बोदू।
6 गोपाल पुत्र भागीरथ।
7 घड़सी पुत्र बोदू।
8 छोटी देवी पत्नी भागीरथ।
9 दड़की पत्नी रामेश्वर।
10 धनकोरी पत्नी बोदू।
11 बनवारी पुत्र भाना।
12 मंगलचन्द पुत्र भागीरथ।
13 मन्जू देवी पत्नी लिक्षमण।
14 मदन पुत्र भागीरथ।
15 श्रवण पुत्र भाना।
16 शीशराम पुत्र बोदू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

17 सतीश कुमार पुत्र रामेश्वर।
18 सुनिता पुत्री लिक्ष्मण।
19 सुरेश पुत्र भागीरथ।
20 हरलाल पुत्र. बोदू समस्त जाति जाट निवासीगण धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
21 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबन्धक।
22 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धमोरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
23 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबन्धक।
24 पंजाब नेशनल बैंक शाखा उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबन्धक।
25 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर पी.एस. जयपुर शाखा ए.डी.बी. उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबन्धक।
26 तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 काश्तकारी अधिनियम
आदेश विरूद्व दिनांक 06.04.2022 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमा उनवानी मूलचन्द
बनाम इन्द्राज सिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 319/2021

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 9.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 319/2021 में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 2.1200 हैक्टेयर भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 95 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 70 फिट लम्बा व 15 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित निशानात ए सी बी बिन्दु तक राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु अप्रार्थी संख्या 27 को आदेशित फरमाया जावें। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन पर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि कानून के अनुसार पत्रावली में सभी पक्षकारान की तामील के बाद मौका रिपोर्ट तलब करने का प्रावधान है जबकि पत्रावली में विपक्षीगण 4 लगायत 27 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 08.03.2022 को हुये है लेकिन पत्रावली पर मौका रिपोर्ट दिनांक 13.01.2022 को तलब कर ली गई। कानूनन मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त भूमि के खातेदार का मौके पर होना आवश्यक है लेकिन मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त प्रतिवादीगण/अपीलान्ट मौके पर उपस्थित नहीं थे तथ पत्रावली पर ना ही ऐसी कोई साक्ष्य है जिससे ये साबित हो कि प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण को मौका रिपोर्ट तैयार करने की सूचना दी गई हो। अपीलार्थीगण को बिना सूचना दिये मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। भूमि खसरा नम्बर 95 से सम्बन्धित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी संतोष बनाम शिवदान सिंह आदि मु.नं. 204/2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का स्थगन भी प्रभावी था जिसके अनुसार उक्त खसरा नम्बर 95 की भूमि को विक्रय, रहन नहीं कर सकते व न ही रिकॉर्ड की यथास्थिति को बदला जा सकता है जिसका अंकन मौका रिपोर्ट में भी किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये जवाब में भी किया गया है। विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता होते हुये व पहले से उपयोग में लिये गये रास्ते को नजरअंदाज कर केवल पटवारी जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिनांक 06.04.2022 पारित कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2022 को पारित किया गया था जिसकी सूचना अपीलान्टस को दिनांक 06.06.2022 को हुई जिस पर अपीलान्टस ने उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 07.06.2022 को ही आवेदन पत्र पेश किया जिस पर अपीलान्टस को दिनांक 10.06.2022 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलान्टस को उक्त आदेश की जानकारी होने तथा उक्त आदेश की नकल प्राप्त होने की दिनांक से उक्त अपील अन्दर मियाद पेश है तथा उक्त अपील के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। अपीलांट की विचारण न्यायालय में वकालतन उपस्थिति होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की हैं। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में अंकित बिन्दु ए से बी तक रास्ता चाहा हैं। तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 02.02.2022 के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 141 में आवागमन हेतु संलग्न नजरी नक्शा में बिन्दु ए से बी तक चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य रास्ता न्यूनतम दूरी का मौजूद नहीं है। सबसे निकटतम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रास्ता को तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मौका जांच रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शाया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2021 को दर्ज किया गया है। उसी दिन विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका रिपोर्ट चाही गई है। इसी दिन अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अपीलांट की मौजुदगी में तैयार नही की गई है। यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 05.04.2022 को विचारण न्यायालय द्वारा बहस सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है किन्तु प्रकरण में धारा 251ए के प्रावधानों के अनुसार उभयपक्ष को सूचित किया जाकर इनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में सक्षम स्तर से पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर